



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032026-270792  
CG-DL-E-10032026-270792

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1170]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/फाल्गुन 18, 1947

No. 1170]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2026

**का.आ. 1222(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के महेसाणा जिले में NH-168G के कि.मी. 8.900 से कि.मी.34.300 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रान्त अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरों सहित सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

गुजरात राज्य के महेसाणा जिले में NH-168G के कि.मी. 8.900 से कि.मी.34.300 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: महेसाणा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: विसनगर					
गांव का नाम: कंसाराकुई					
1	1	सरकारी	गमताल	0.0644 (हेक्टेयर)	0.0644
2	533	निजी	कृषि	0.0258 (हेक्टेयर)	0.0258
3	536	निजी	बिन खेती	0.0388 (हेक्टेयर)	0.0388
4	537	निजी	कृषि	0.0115 (हेक्टेयर)	0.0115
5	538	निजी	कृषि	0.0119 (हेक्टेयर)	0.0119
6	563	निजी	बिन खेती	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
7	920.003	निजी	कृषि	0.0079 (हेक्टेयर)	0.0079
8	920.004	निजी	कृषि	0.0098 (हेक्टेयर)	0.0098
9	920.005	निजी	कृषि	0.0311 (हेक्टेयर)	0.0311
10	921.001	निजी	कृषि	0.0502 (हेक्टेयर)	0.0502
11	921.002	निजी	कृषि	0.0224 (हेक्टेयर)	0.0224
12	922	सरकारी	रोड	0.0022 (हेक्टेयर)	0.0022
13	938	सरकारी	सरकारी	0.0042 (हेक्टेयर)	0.0042
14	947	सरकारी	रोड	0.0034 (हेक्टेयर)	0.0034
15	948	सरकारी	रोड	0.0082 (हेक्टेयर)	0.0082
16	949.001	सरकारी	गौचर	0.0143 (हेक्टेयर)	0.0143
गांव का नाम: सवाला					
17	1	सरकारी	गौचर	0.0039 (हेक्टेयर)	0.0039
18	1037	सरकारी	गौचर	0.0001 (हेक्टेयर)	0.0001
19	1038	सरकारी	गौचर	0.0019 (हेक्टेयर)	0.0019
20	1039.001	सरकारी	गौचर	0.0168 (हेक्टेयर)	0.0168
21	1297	सरकारी	गौचर	0.0001 (हेक्टेयर)	0.0001
22	1386	निजी	बिन खेती	0.0488 (हेक्टेयर)	0.0488

23	1388	निजी	बिन खेती	0.0512 (हेक्टेयर)	0.0512
24	2.002	निजी	बिन खेती	0.0156 (हेक्टेयर)	0.0156
25	294	निजी	कृषि	0.0094 (हेक्टेयर)	0.0094
26	699	निजी	कृषि	0.0406 (हेक्टेयर)	0.0406
27	714.001	सरकारी	गौचर	0.3632 (हेक्टेयर)	0.3632
28	714.003	सरकारी	गौचर	0.0132 (हेक्टेयर)	0.0132
29	714.004	सरकारी	गौचर	0.0158 (हेक्टेयर)	0.0158
30	714.006	सरकारी	गौचर	0.0181 (हेक्टेयर)	0.0181
31	714.007	सरकारी	गौचर	0.0025 (हेक्टेयर)	0.0025
32	719	सरकारी	गौचर	0.0016 (हेक्टेयर)	0.0016
33	720	सरकारी	गौचर	0.0018 (हेक्टेयर)	0.0018
34	722	सरकारी	गौचर	0.0006 (हेक्टेयर)	0.0006
35	723.002	निजी	कृषि	0.0508 (हेक्टेयर)	0.0508
36	733	निजी	कृषि	0.0077 (हेक्टेयर)	0.0077
37	735	सरकारी	गौचर	0.0156 (हेक्टेयर)	0.0156
38	760	निजी	कृषि	0.0055 (हेक्टेयर)	0.0055
39	761	निजी	कृषि	0.0034 (हेक्टेयर)	0.0034
40	762	निजी	कृषि	0.0002 (हेक्टेयर)	0.0002
41	763.002	निजी	कृषि	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
42	769.002	निजी	कृषि	0.0031 (हेक्टेयर)	0.0031
43	770	निजी	कृषि	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004
<b>Total</b>					<b>1.009</b>

[फा. सं. GJ/P/V/14/09/2022/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th March, 2026

**S.O.1222(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for construction (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-168G in the stretch of land from Km. 8.900 to Km. 34.300 in the district of MAHESANA in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Magistrate and Prant Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

#### SCHEDULE

#### Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-168G in the stretch of land from Km. 8.900 to Km. 34.300 in the district of MAHESANA in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: MAHESANA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Visnagar</b>					
<b>Village: Kansarakui</b>					
1	1	Government	Gamtal	0.0644 (Hectare )	0.0644
2	533	Private	Agriculture	0.0258 (Hectare )	0.0258
3	536	Private	Non Agriculture	0.0388 (Hectare )	0.0388
4	537	Private	Agriculture	0.0115 (Hectare )	0.0115
5	538	Private	Agriculture	0.0119 (Hectare )	0.0119
6	563	Private	Non Agriculture	0.009 (Hectare )	0.009
7	920.003	Private	Agriculture	0.0079 (Hectare )	0.0079
8	920.004	Private	Agriculture	0.0098 (Hectare )	0.0098
9	920.005	Private	Agriculture	0.0311 (Hectare )	0.0311
10	921.001	Private	Agriculture	0.0502 (Hectare )	0.0502
11	921.002	Private	Agriculture	0.0224 (Hectare )	0.0224
12	922	Government	Road	0.0022 (Hectare )	0.0022
13	938	Government	Government	0.0042 (Hectare )	0.0042
14	947	Government	Road	0.0034 (Hectare )	0.0034
15	948	Government	Road	0.0082 (Hectare )	0.0082
16	949.001	Government	Gauchar	0.0143 (Hectare )	0.0143
<b>Village: Savala</b>					
17	1	Government	GAUCHAR	0.0039 (Hectare )	0.0039
18	1037	Government	GAUCHAR	0.0001 (Hectare )	0.0001
19	1038	Government	GAUCHAR	0.0019 (Hectare )	0.0019
20	1039.001	Government	GAUCHAR	0.0168 (Hectare )	0.0168
21	1297	Government	GAUCHAR	0.0001 (Hectare )	0.0001
22	1386	Private	Non Agriculture	0.0488 (Hectare )	0.0488
23	1388	Private	Non Agriculture	0.0512 (Hectare )	0.0512
24	2.002	Private	Non Agriculture	0.0156 (Hectare )	0.0156

25	294	Private	Agriculture	0.0094 (Hectare )	0.0094
26	699	Private	Agriculture	0.0406 (Hectare )	0.0406
27	714.001	Government	GAUCHAR	0.3632 (Hectare )	0.3632
28	714.003	Government	GAUCHAR	0.0132 (Hectare )	0.0132
29	714.004	Government	GAUCHAR	0.0158 (Hectare )	0.0158
30	714.006	Government	GAUCHAR	0.0181 (Hectare )	0.0181
31	714.007	Government	GAUCHAR	0.0025 (Hectare )	0.0025
32	719	Government	GAUCHAR	0.0016 (Hectare )	0.0016
33	720	Government	GAUCHAR	0.0018 (Hectare )	0.0018
34	722	Government	GAUCHAR	0.0006 (Hectare )	0.0006
35	723.002	Private	Agriculture	0.0508 (Hectare )	0.0508
36	733	Private	Agriculture	0.0077 (Hectare )	0.0077
37	735	Government	GAUCHAR	0.0156 (Hectare )	0.0156
38	760	Private	Agriculture	0.0055 (Hectare )	0.0055
39	761	Private	Agriculture	0.0034 (Hectare )	0.0034
40	762	Private	Agriculture	0.0002 (Hectare )	0.0002
41	763.002	Private	Agriculture	0.002 (Hectare )	0.002
42	769.002	Private	Agriculture	0.0031 (Hectare )	0.0031
43	770	Private	Agriculture	0.0004 (Hectare )	0.0004
<b>Total</b>					<b>1.009</b>

[F. No. GJ/P/V/14/09/2022/3A1]  
SAIKH AMINKHAN, Director